सं0सं0–6 / एन0–08–04 / 2012–......

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना
आदेश

महात्मा बुद्व एडुकेशनल एण्ड रिसर्च सेन्टर सिवान द्वारा प्रस्तावित दक्ष ए0एन0एम0 प्रशिक्षण स्कूल महाराज गंज सिवान का पूर्व निर्गत विभागीय ज्ञापांक 144(6), दिनांक 30.03.2012 ज्ञापांक–506(6) दिनांक–03.12.13 के आलोक में कराये गये निरीक्षण एवं ज्ञापांक–58 / J.S.C के आलोक में कराये गये औचक निरीक्षण के उपरांत सिविल सर्जन सिवान के पत्रांक–537 दिनांक–13.10.14 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन एवं कृत अनुशंसाओं के आलोक में उक्त प्रशिक्षण स्कूल को ए0एन0एम0 प्रशिक्षण पाठयक्रम में 60 (साठ) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र अर्थात दो वर्षो (2015–17) के लिए निम्न शर्तों पर औपबंधिक रूप से मान्यता प्रदान की जाती है।

(क) उक्त संस्थान 6 माह के अन्दर भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली से अपना निरीक्षण करा लेंगे।

(ख) उक्त संस्थान का छः माह बाद औचक जाँच दल गठित कर औचक निरीक्षण कराया जा सकता है।

(ग) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्डों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, सिवान समय–समय पर गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(घ) संस्थान द्वारा नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997, एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

(ङ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(च) संस्था की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमंडल छपरा (ii) सिविल सर्जन सिवान, तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिवान को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

इसमें सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(डा0 आर0डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : सं0सं0–6 / एन0–08–04 / 2012–147 (6) पटना दिनांक – 30/03/2015

प्रतिलिपिः– सचिव, महात्मा बुद्व एडुकेशनल एण्ड रिसर्च सेन्टर सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली / निबंधक, परिचारिका निबंधन परिषद बिहार, पटना / क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वा0से0 सारण प्रमंडल (छपरा) / सिविल सर्जन, सिवान / अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विभागीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/15
निदेशक प्रमुख
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।